"विधिक सेवा का जन-जन को यही है पैगाम| निर्धन को सस्ता न्याय मिले इसी का है संग्राम"

FREE LEGAL aid

Mediation

Efficient, Effective, Speedy, Convenient and Less Expensive process to resolve a dispute with Dignity, Mutual Respect and Civility.

विधिक सेवा प्राप्त करने का तरीका

1. उच्चतम न्यायालय स्तर पर उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव (पंजीयक), उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति ;
2. उच्च न्यायालय स्तर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव (पंजीयक सतर्कता);
3. जिला स्तर पर जिला के जिला एवं स्तर न्यायधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष; तथा
4. उप- मंडल स्तर पर उप-मंडल में नियुक्त वरिष्ठ उप न्यायधीश एवं उप-मंडलीय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष |

विधिक सेवा प्राप्त करने के हक़दार व्यक्ति सादे कागज पर उपरोक्त लिखित से सम्पर्क कर सकते हैं अगर आवेदनकर्ता की वार्षिक आमदनी एक लाख रूपए से कम है तो ऐसे व्यक्ति को अपने आवेदन के साथ आय प्रमाण पत्र या आय की घोषणा लगानी जरुरी है | यदि आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तो उसे अपने आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है |

विधिक सेवा अधिनियम, 1987 के अनुसार वह व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार रखता है जो कि

1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हों या
2. संविधान के अनुच्छेद 23 मे मानव दुर्व्यवहार या बेगार का शिकार हो या
3. महिला या बालक हों या
4. मानसिक रोगी या विकलांग हों या
5. अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप या आद्योगिक संकट के शिकार हों या
6. आद्योगिक श्रमिक हों या
7. कारागृह, किशोर, मनोचिकत्सा अस्पताल, मनोचिकत्सीय परिचर्या गृह मे अभिरक्षा मे रखे गए व्यक्ति हों या
8. हिजड़ा समुदाय से संबधिंत हों या
9. ऐसे व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 1,00 ,000 /- (एक लाख) रुपये से कम हो या
10. वरिष्ठ नागरिक जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो और वार्षिक आय दो लाख से काम हो या
11. HIV या एड्स से पीड़ित व्यक्ति हों|

मुफत कानूनी सहायता के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं:

1. सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध करवाना व पात्र व्यक्ति को वकीलों के पैनल मे से वकील चुनने की सुविधा देना|
2. न्याय शुल्क (कोर्ट फी) देना|
3. टाइपिंग और याचिकाओं तथा दस्तावेजों को तैयार करने मे होने वाला खर्च उठाना|
4. गवाहों को बुलाने पर होने वाले खर्च देना|
5. मुकदमों से सम्बंधित अन्य खर्च देना |
6. मुफत कानूनी सेवा मे किसी मुकदमें मे कानूनी सलाह प्राप्त करना |

न्याय सब के लिए — ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
कुल्लू, 175101

किसी भी प्रकार की मुफ्त कानूनी सहायता अथवा सलाह के लिए आप निम्नलिखित नम्बरों पर सम्पर्क कर सकते हैं।

1. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला
   15100 (टोल फ्री)
2. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुल्लू
   01902-224378, 222378
3. उप मंडलीय विधिक सेवा समिति कुल्लू
   01902-222639
4. उप मंडलीय विधिक सेवा समिति लाहौल स्पिति
   01902-255130
5. उप मंडलीय विधिक सेवा समिति मनाली
   01902-254054